

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ साख, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 60 /2017

प्रा.प. अन्तर्गत धारा 111,128 रा.भू.रा.अधि.1956
अनवान

1. लादु पिता देबी नाई जाति नाई उम्र 60 वर्ष निवासी चौधरियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
2. खाना पिता देबी नाई जाति नाई उम्र 40 वर्ष निवासी चौधरियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
3. मांगी पुत्री देबी नाई जाति नाई उम्र वयस्क निवासी चौधरियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
4. दाखी पुत्री देबी नाई जाति नाई उम्र वयस्क निवासी चौधरियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
5. कैलाशी पत्नि अम्बालाल नाई उम्र 40 वर्ष निवासी चौधरियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
6. भैरु पिता रामेश्वर नाई उम्र 58 वर्ष निवासी चौधरियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा
7. कैलाश पिता रामेश्वर नाई उम्र 38 वर्ष निवासी चौधरियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. जोधा पिता भीमा मीणा उम्र वयस्क निवासी चौधरियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
2. पूरण पिता मूलचन्द मिश्र उम्र वयस्क निवासी चौधरियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
3. हरिशंकर पिता मूलचन्द मिश्र उम्र वयस्क निवासी चौधरियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
4. शम्भुलाल पिता मदनलाल मिश्र उम्र वयस्क निवासी चौधरियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
5. मूला पिता भीमा मीणा उम्र वयस्क निवासी चौधरियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
6. राजू पिता घासी मीणा उम्र वयस्क निवासी चौधरियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
7. लक्ष्मण पिता धन्ना गुजर उम्र वयस्क निवासी चौधरियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
8. रंगलाल पिता खुमा गुजर उम्र वयस्क निवासी चौधरियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
9. भैरु पिता लाला गुजर उम्र वयस्क निवासी चौधरियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
10. छोटु पिता लाला गुजर उम्र वयस्क निवासी चौधरियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
11. बन्ना पिता लाला गुजर उम्र वयस्क निवासी चौधरियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
12. बाली पत्नि लाला गुजर उम्र वयस्क निवासी चौधरियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
13. चान्दु पत्नि खुमा गुजर उम्र वयस्क निवासी चौधरियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
14. बाली पत्नि खुमा गुजर उम्र वयस्क निवासी चौधरियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
15. कमली पत्नि खुमा गुजर उम्र वयस्क निवासी चौधरियास तहसील कोटड़ी जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
16. राजस्थान राज्य जरिये भू धारक तहसीलदार साहब कोटड़ी

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व
अधिनियम 1956

--: आदेश :-

दिनांक 05/04/2017

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में दिनांक 13/05/2016 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम - चौधरियास, पटवार हल्का - सुठेपा, भू.अ.नि.क्षेत्र बडलियास, तहसील- कोटड़ी,

उपखण्ड अधिकारी कोटड़ी
जिला भीलवाड़ा

जिला-भीलवाडा की जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 की आराजी सं. 440 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, आराजी संख्या 441 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 448/1 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 568 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा कुल कीता 4 कुल रकबा 21 बीघा 04 बिस्वा एवं आराजी संख्या 436 रकबा 9 बिस्वा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते/सयुक्त खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रकरण केवल सीमा संबंधी है जिससे किसी का कोई हक प्रभावित नही होता है। विपक्षीगण का कोई हक प्रभावित नही होता है। खातेदारी हक प्रार्थी का है इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के आदेश प्रदत्त किये जाते है एवं संबंधित भू.अ.निरीक्षक बडलियास को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर उभयपक्ष को सुचित करने के उपरान्त पालना रिपोर्ट मार्फत तहसीलदार कोटडी के तलब की जावें।

--:: आदेश ::--

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसील कोटडी के वाके ग्राम - चौधरियास, पटवार हल्का - सुठेपा, भू.अ.नि.क्षेत्र बडलियास, तहसील- कोटडी, जिला-भीलवाडा की जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 की आराजी सं. 440 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, आराजी संख्या 441 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, आराजी संख्या 448/1 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 568 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा कुल कीता 4 कुल रकबा 21 बीघा 04 बिस्वा एवं आराजी संख्या 436 रकबा 9 बिस्वा भूमि पर पत्थरगढी उभयपक्षकारान को सुचित किया जाकर बाद तिथी निर्धारण के पत्थरगढी की जावें। प्रार्थी इस कार्य के लिए कमिश्नर फीस तहसीलदार कोटडी के निर्देशानुसार राशि 1100 रूपये वक्त पत्थरगढी कमिश्नर भू.अ.निरीक्षक को जमा करायेगा। खर्चा राशि जमा होने पर भू.अ.निरीक्षक द्वारा पत्थरगढी की जाकर पालना करे।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी
जिला भीलवाडा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार कोटडी को भेजकर लेख है कि आवेदक की पत्थरगढी कराकर सात योम में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी कोटडी
जिला भीलवाडा